

CONSTITUTION (AMENDMENT)  
BILL\*

(Amendment of Article 102)

Shri K. R. Ganesh (Andaman and Nicobar Islands): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

Shri K. R. Ganesh: I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT)  
BILL—Contd.

(Amendment of Articles 37, 45, etc.)  
by Shri Madhu Limaye.

Mr. Deputy-Speaker: We now take up further consideration of the following motion moved by Shri Madhu Limaye on the 26th May, 1967, namely:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st August, 1967."

Only 30 minutes are left.

Dr. Lohia.

डा. राम मनोहर लोहिया (कन्नौज) :  
उपाध्यक्ष महोदय, श्री मधु लिमये जी के बिल का समर्थन करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसलिये कि राज्य में जितनी प्रेरणा होनी चाहिये। उतना ही दण्ड होना चाहिये। जितना संकल्प होना चाहिये उतना ही विद्या होना चाहिये। अभी तक अक्षर शिक्षा के अभाव में और बाने पीने के मामले में भारतीय राज्य केवल प्रेरणा है और संकल्प भी है जो बहुत कम्ये किस्म का संकल्प है। मधु

जी ने प्रबल किया है कि इस प्रेरणा और संकल्प को एक दण्ड और विद्या का रूप दिया जाय, ताकि भारत की अदालतों को मौका मिल जाये कि वह इस संकल्प और प्रेरणा को तोड़ने वाले लोगों को उचित दण्ड दे सके।

राज-दण्ड एक ऐसा शब्द है जो तीन हजार वर्षों से ज्यादा समय से हमारे तात्पर्य को अच्छी तरह से बताता है। मैं एक बाजार मिसाल देकर कहता हूँ कि मान लो, थोड़ी देर के लिये कोई भ्रादमी कहे कि चोरी देश में रोको मठ बना कर, संकल्प बनाकर लोगों में प्रचार करके कि चोरी करना बहुत बुरा है और चोरी के सम्बन्ध में जितने कानून हैं उनको खत्म कर डालो—भाज करीब करीब वही हालत है। प्राथमिक शिक्षा और भोजन के सम्बन्ध में कानून नहीं, ऐसा कानून जिसके आधार पर दण्ड दिया जा सके तो जो अभी मैंने उदाहरण दिया है कि चोरी और कत्ल के कानून को बिल्कुल हटा दो, हमारे ताज्जिरात हिन्द और दण्ड प्रक्रिया से और लोगों को आस्तारिक प्रेरणा और संकल्प पर ही छोड़ दो कि वे चोरी न करें तो जो अवस्था होगी वही अवस्था भाज भोजन और प्राथमिक शिक्षा की हो रही है।

भोजन की विशेष तौर से, क्योंकि मैं आपसे बार बार इस बात को कहता चाहता हूँ और कह चुका हूँ कि भाज भी केवल बिहार में तीन चार हजार भ्रादमी रोज दिन-ब्यादे हुये मर रहे हैं और जुलाई-अगस्त में उत्तर प्रदेश और बिहार में सम्भवतया 10-20 लाख भ्रादमियों की मौत होने जा रही है। ऐसे समय में प्रश्न उठता है कि जिस राज्य में . . . . . (व्यवधान) . . .

बार बार मुझे टोकते चले जाते हो—वह सरकार नहीं, वे तो पटवारी हैं। कलक्टर यहां बैठे हुए हैं, पटवारी वहां बैठे हुए हैं, पटवारी के नाम पर हजार बात सुनाया

\*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 9 June, 1967.